प्रा.पत्र मुन्त./01/2025 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

1—युग शर्मा पुत्र कुलदीप नावालिग जरिये संरक्षक माता संस्कृति पत्नि कुलदीप जाति ब्राहम्ण, निवासी तेहरा ब्राहम्ण तहसील उच्चैन जिला भरतपुर हाल निवास मकान नं. 70 विमल कुन्ज भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1—मुरारी पुत्र तुरसी जाति ब्राहम्ण निवासी तेहरा ब्राहम्ण तहसील उच्चैन जिला भरतपुर

2—कुलदीप पुत्र मुरारी निवासी तेहरा ब्राहम्ण हाल निवास 3/ए ब्लांक फलेट नं. 407, सोमेश्वर अपार्टमैन्ट प्रेणतीर्थ देरासर जोधपुर ग्रांम सैटेलाईट अहमदावाद

3— उप पंजीयक उच्चैन जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,उच्चैन पीठासीन अधिकारी श्री भारती गुप्ता, वमुकदमा उनवानी युग शर्मा बनाम मुरारी वगे.दावा संख्या 254/2024, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट नम्बर 181/2024.

उपस्थितः—

1—श्री प्रमोद कुमार उपमन, अभिभाषक प्रार्थी,

2—श्री दिलीप शर्मा अभिभाषक रेस्पो—1

निर्णय दिनांक 16.04.2025

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ एस.डी.ओ. उच्चैन इस आशय का पेश किया गया, जो संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि एक दावा उनवानी युग शर्मा बनाम मुरारी वगे. संख्या 254/2024, एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट नम्बर 181/2024. प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थी के बाबा व पिता के मध्य पैत्रिक आराजी में खातेदारी अधिकार को लेकर न्यायालय एस.डी.ओ. उच्चैन में विचाराधीन है। प्रार्थी वर्तमान में अपनी माता के साथ भरतपुर में निवास करते हैं। प्रार्थी व उसकी माता तारीख पेशीयों पर उच्चैन जाते हैं, तब अप्रार्थीगण, प्रार्थी व उसकी माता पर अनुचित दबाव बनाते हैं। दिनांक 15.12.2024 को सारस चौराहे भरतपुर के पास प्रार्थी की माता एवं उसके मामा राजेश को अप्रार्थी संख्या 2 ने धमकी दी है कि प्रार्थी के द्वारा किये गये मुकदमों को व स्टे को समाप्त करा दे, और समाप्त नहीं कराये तो इस बार पेशी पर जब प्रार्थी व उसकी माता आयेगी तो उनका अपहरण करवाकर घर ले जायेंगे ओर जबरन मुकदमा को समाप्त करायेंगे और फिर भी नहीं किया तो उसकी माता को

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

जान से मार देंगें। इस घटना से प्रार्थी को अत्यन्त भय व्याप्त है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के साथ कोई भी घटना कर सकते हैं। इसलिये न्यायालय एस.डी.ओ. उच्चैन में विचाराधीन प्रकरण को भरतपुर के किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे जिस से प्रार्थी भय मुक्त होकर प्रकरण में अपनी पैरवी कर सके।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से लिखित बहस/जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी/संरक्षक ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि पक्षकारान के बीच एक दावा पैत्रिक सम्पत्ति को लेकर एस.डी.ओ.उच्चैन न्यायालय में विचाराधीन है। योग्य प्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के बाबा हैं तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी के पिता हैं। योग्य अभिभाषक प्रार्थी/संरक्षक ने दौराने बहस फार्म न.3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि प्रार्थी की माता ने एक एफ. आई.आर 0134/24 महिला थाना भरतपुर में अन्तर्गत धारा 498 A, 406, 323, 341, 354 अप्रार्थी ससुराल पक्ष (अप्रार्थी0) के खिलाफ दर्ज कराई हुई। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन न्यायालय में दावा में पैरवी पर जाने पर अप्रार्थी. रंजिसवस प्रार्थी एवं संरक्षक माता को धमकी देते हैं कहते हैं मुकदमा वापिस लो, तुम्हें उच्चैन में नहीं आने देंगे, मुकदमें में पैरवी नहीं करने देंगें। योग्य अभिभाषक का यह कहना है कि दिनांक 3.4.25 को भी अप्रार्थी संख्या –1 मुरारीलाल व अन्य तीन चार लोगों ने प्रार्थी एवं संरक्षक माता को धमकी दी जिसका इस्तगासा न्यायालय ए.डी.एम.(सिटी) भरतपुर में पेश किया गया है। उक्त घटना से प्रार्थी को अत्यन्त भय व्याप्त है। प्रार्थी न्यायालय उच्चैन में पैरवी करने से डर लगता है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अन्त में प्रार्थना की कि न्यायालय एस.डी.एम. उच्चैन में विचाराधीन दावे को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने की कृपा करें ताकि प्रार्थी भय मुक्त होकर अपने दावा में पैरवी कर सके।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस/जबाब में जाहिर किया कि अप्रार्थी. द्वारा प्रार्थी को कभी भी धमकी नहीं दी गई, जिस प्रकार अप्रार्थी पर आरोप लगाये गये हैं वे झूठे वेबुनियाद हैं। अप्रार्थी ने प्रार्थी को कभी भी न्यायालय उच्चैन में आने से नहीं रोका है। प्रार्थी न्यायालय उच्चेन में उपस्थित होकर विधिवत बिना किसी रोक टोक पैरवी करती आ रही है। भरतपुर सारस चौराहे पर जो धमकी देने का आरोप लगाया है वह भी झूठा है। अप्रार्थी वृद्ध है राजकीय सेवा में ग्रांम जयचौली के राजकीय विद्यालय में कार्यरत है, प्रार्थी को भरतपुर में पैरवी करने में

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

परेशानी होगी बहुत दूर पडेगा व न्याय नहीं मिल पाएगा। अप्रार्थी का नाना कार्यालय डी.सी. भरतपुर में कार्यरत है, प्रार्थी का नाना अभय शर्मा ही यह झूठी कार्यवाही करवा रहा है। प्रार्थना पत्र विचाराधीन दावा को देरीना करने एवं अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावाली का अवलोकन किया, योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नकल एफ.आई.आर 0134/24 महिला थाना भरतपुर एवं फोटो कॉपी इस्तगासा ए.डी.एम. (सिटी) भरतपुर का अवलोकन किया। प्रार्थी की शंका एवं दूरंदेशी को मध्येनजर रखते हुये हम प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन के न्यायालय में विचाराधीन दावा नम्बर 254/2024 उनवानी युग शर्मा बनाम मुरारी वगे. एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी. एक्ट नम्बर 181/2024 को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी उच्चैन एवं उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर